वित्त मंत्री

श्री राजेश अग्रवाल

का

2019-2020 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

वित्तीय वर्ष 2019–2020 के बजट अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2019–2020 का आय–व्ययक प्रस्तुत करते हुए अपनी भावनाओं को प्रोफेसर वसीम ''बरेलवी'' की इन पंक्तियों के माध्यम से उद्धृत करना चाहूँगा :–

हवा का रूख बदल देने का हौसला भी है ताकत भी,
निभाते हैं, अगर कोई भी वादा कर लिया हमने ।
सफर अपना किसी तूफान के डर से नहीं रूकता,
इरादा कर लिया तो फिर, इरादा कर लिया हमने ।

मान्यवर,

हम सभी अवगत हैं कि अध्यात्म, आस्था और सांस्कृतिक समागम का महापर्व कुम्भ 15 जनवरी, 2019 से तीर्थराज प्रयागराज में प्रारम्भ हो चुका है । यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि कुम्भ मेले की महत्ता एवं ऐतिहासिकता के दृष्टिगत यूनेस्को द्वारा कुम्भ मेले को **मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत** का स्तर दिया गया है । प्रयागराज नगर को भारतीय संस्कृति और कला के बड़े सुंदर चित्रों से सजाया गया है ।

उत्तर प्रदेश में सनातन संस्कृति पल्लवित–पुष्पित हुई है । भगवान श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या, भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा एवं भगवान शिव की नगरी काशी उत्तर प्रदेश में ही विद्यमान है । जिस तरह से सनातन धर्म अनादि कहा जाता है, उसी प्रकार प्रयागराज की भी महिमा का कोई आदि–अंत नहीं है । कुम्भ को भारतीय संस्कृति का महापर्व कहा गया है । जिस समय बृहस्पति मेष राशि पर हो तथा चन्द्रमा और सूर्य मकर राशि पर हों, उस समय अमावस्या को तीर्थराज प्रयाग में कुम्भ पर्व का योग होता है :–

मेषराशिं गते जीवे मकरे चन्द्रभास्करौ ।
अमावस्यां तदा योगः कुम्भाख्यस्तीर्थ नायके ।।

कुम्भ मेले को दिव्य, भव्य और स्वच्छ स्वरूप प्रदान करने के लिए सरकार कृत–संकल्पित है । कुम्भ मेले में भारत तथा सम्पूर्ण विश्व से

लगभग 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसमें 5 हजार से अधिक प्रवासी भारतीय भी सम्मिलित हैं । इस कुम्भ में आने वाले श्रद्धालुओं को **अक्षयवट** और **सरस्वती कूप** के दर्शन का अवसर प्रथम बार सुलभ हुआ है । प्रयागराज को देश के कई प्रमुख महानगरों से हवाई मार्ग से जोड़ा गया है । **कुम्भ में स्वच्छता** को विशेष महत्व दिया जा रहा है । इस बार कुम्भ में 01 लाख 22 हजार 500 **बायो–डाईजेस्टर टॉयलेट** स्थापित किये गये हैं। साथ ही 25 हजार से अधिक डस्टबिन लगाए गए हैं ।

मान्यवर,

मैं, माननीय सदन के समक्ष बजट प्रस्तुत करने के इस सुअवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा गरीबों, वंचितों, मजदूरों, किसानों, हर वर्ग के कमजोर तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले नागरिकों के उत्थान हेतु भारत सरकार की उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, जन–धन योजना, मुद्रा योजना, उजाला योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं द्वारा दिए गए अद्वितीय योगदान के लिए उनका अभिनंदन करते हुए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ ।

भारत सरकार के अंतरिम बजट 2019–2020 में लघु एवं सीमांत किसानों के खातों में 6 हजार रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है, परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के तीन चौथाई किसानों को इसका सीधे–सीधे लाभ मिलेगा । किसानों को कृषि ऋण पर 2 से 5 प्रतिशत की छूट की घोषणा से भी उन्हें लाभ प्राप्त होगा । गैर संगठित मजदूर, जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में बहुतायत है, उनके लिए घोषित पेंशन योजना का लाभ सबसे अधिक उत्तर प्रदेश को मिलेगा । यह सरकार गरीबों के सहयोग के लिए कृत–संकल्पित है, इसलिए शैक्षिक संस्थानों और नौकरियों में आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चित किया है । 5 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त रखने से मध्यम वर्ग के करदाताओं, छोटे व्यापारी, वेतनभोगी, पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा । **कामधेनु योजना**, मत्स्य पालकों के कल्याण हेतु अलग से विभाग बनाये जाने की घोषणा, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी ।

हमने विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुशल एवं विश्व श्रेणी की आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान, अपने युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए शिक्षा तथा कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं । छोटे तथा सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए कृषि ऋण, उर्वरकों की सुलभ उपलब्धता, सिंचाई तथा विपणन व्यवस्था की गई है । ग्रामीण विकास, उद्योग एवं कारीगरों के उत्थान तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न सशक्त योजनाओं के माध्यम से अनेक उपाय किए गए हैं। कमजोर वर्ग हमेशा हमारे राजकोष का लक्ष्य होना चाहिए । यह हमारा विश्वास है, मत है तथा हमारी अभिन्न मानवता के हृदय की पुकार है ।

वर्ष 2019–2020 के आय–व्ययक में सम्मिलित मुख्य योजनाओं और कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–2019 में हमारी सरकार द्वारा किसानों के हित, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास तथा विभिन्न क्षेत्रों में उठाये गये महत्वपूर्ण कदमों और उपलब्धियों का विवरण इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहूँगा ।

जन समस्या निवारण

जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु प्रभावी व्यवस्था की गई है । आई.जी.आर.एस. के अंतर्गत शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करते हुए कुल 86 लाख 97 हजार संदर्भों में से 81 लाख 22 हजार प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया गया तथा प्राप्त शिकायतों का प्रभावी अनुश्रवण किया जा रहा है ।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने विवेकाधीन कोष से गंभीर बीमारियों, कैंसर, हृदय रोग के उपचार, किडनी प्रत्यारोपण तथा अग्निकाण्ड एवं दुघर्टना आदि से प्रभावित प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2018–2019 में अब तक 2 अरब 4 करोड़ 61 लाख 22 हजार रुपये की सहायता प्रदान की गई है ।

मान्यवर,

प्रदेश के गौरव माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रदेश के उत्थान में अप्रतिम योगदान को मैं, इन पंक्तियों के साथ व्यक्त करना चाहूँगा :–

जब इरादा बना लिया ऊँची उड़ान का,
फिर देखना फिजूल है, कद आसमान का ।

उद्योग

निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट–2018 का सफल आयोजन किया गया । देश–विदेश के शीर्ष निवेशकों, उद्योगपतियों द्वारा प्रदेश में विभिन्न उद्योगों एवं इकाइयों की स्थापना के लिए 4 लाख 68 हजार करोड़ रुपये के निवेश सम्बन्धी एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किए गए । भारतवर्ष के गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कर–कमलों से प्रथम चरण में 61 हजार करोड़ की 81 विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ । **ईज़ ऑफ डूइंग** बिजनेस के द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान लागू किया गया । बुंदेलखंड में डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना का निर्णय लिया गया, जिसमें 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ ढाई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा । पहली बार 21 से 23 जनवरी, 2019 के मध्य वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस का सफल आयोजन किया गया, जिससे प्रदेश में उद्योग स्थापना को बढ़ावा मिलेगा ।

अवस्थापना सुविधाओं का विकास

लखनऊ से गाजीपुर वाया–आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित (ग्रीन फील्ड) पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे परियोजना का शिलान्यास किया गया । इस एक्सप्रेस–वे से गोरखपुर को जोड़ने के लिये 91 किलोमीटर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे के निर्माण का निर्णय लिया गया है । बुंदेलखंड के विकास हेतु झाँसी से जालौन–उरई–बेला होते हुए आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे तक 06 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसकी लम्बाई 296 किलोमीटर है, के संबंध में भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है । मेरठ से प्रयागराज तक 600 किलोमीटर लम्बे एक्सप्रेस–वे परियोजना की डी.पी.आर. बनाये जाने का निर्णय लिया गया है ।

कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं

कृषि निवेश पर देय अनुदान को डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना । 32 लाख 47 हजार किसानों को कृषि अनुदान के 6 सौ 57 करोड़ 19 लाख रुपये का डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे भुगतान किया गया । मण्डी समिति में अब किसान ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होंगे । किसान अपना उत्पाद किसी भी मण्डी में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं । **''एक देश एक बाजार''** बनाने के लिए राज्य में यूनीफाईड लाइसेंस की फीस को एक लाख रुपये से घटाकर 10 हजार रुपये किया गया है । किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से ''**द मिलियन फार्मर्स स्कूल कार्यक्रम**'' एवं लखनऊ में **अंतर्राष्ट्रीय कृषि कुम्भ** का सफल आयोजन किया गया । देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केन्द्र फिलीपीन्स की शाखा वाराणसी में स्थापित हुई । 4 करोड़ से अधिक किसानों को **मृदा स्वास्थ्य कार्ड** वितरित किए गए ।

प्रदेश में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहनी एवं तिलहनी फसलों की 4 हजार 700 मीट्रिक टन से अधिक सरकारी खरीद की गई । किसानों को 66 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। किसानों की उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की 100 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार **(ई–नैम)** पोर्टल से लिंक किया गया । वर्तमान वर्ष में 58 लाख 72 हजार कुंतल बीज का वितरण किया गया एवं वर्ष 2019–20 में 60 लाख 51 हजार कुंतल बीज वितरण का लक्ष्य है । सरकार के विशेष प्रयास से किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है । वर्ष 2019–20 में 77 लाख 26 हजार मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है ।

गन्ना किसानों को सुविधाएं

मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि हमारी सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के उपरान्त अब तक 35 लाख गन्ना किसानों को लगभग 52 हजार करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है । यह अब तक का रिकॉर्ड भुगतान है । पेराई सत्र 2017–18 में खरीदे गये गन्ने की मात्रा के आधार पर साढ़े चार रुपये प्रति कुन्तल की दर से 430 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता चीनी मिलों को प्रदान की गई । वर्तमान में राज्य सरकार की सार्थक नीतियों के फलस्वरूप प्रदेश का गन्ना क्षेत्रफल

लगभग 5 लाख हेक्टेयर बढ़कर लगभग 28 लाख हेक्टेयर हो गया है । इससे चीनी का उत्पादन 125 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है ।

पेराई सत्र 2018–2019 हेतु अगेती प्रजाति हेतु 325 रुपये, सामान्य प्रजाति हेतु 315 रुपये एवं अस्वीकृत प्रजाति हेतु 310 रुपये प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया ।

खाद्य एवं रसद

वर्ष 2018–19 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1 हजार 735 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 11 लाख 27 हजार 195 किसानों से 52 लाख 92 हजार मीट्रिक टन गेहूँ की रिकॉर्ड खरीद 6 हजार 459 क्रय केन्द्र स्थापित कर की गई । किसानों को 72 घंटे के अंदर कुल 9 हजार 232 करोड़ का आर.टी.जी.एस. द्वारा भुगतान किया गया । विपणन वर्ष 2019–20 हेतु 1,840 (एक हजार आठ सौ चालीस) रुपये प्रति कुन्तल की दर से 6 हजार क्रय केन्द्रों के माध्यम से गत वर्ष की भाँति किसानों से गेहूँ क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।

मान्यवर,

खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 के अंतर्गत प्रदेश में प्रथम बार मक्का खरीद का शुभारंभ किया गया । एक हजार 700 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 1 हजार 339 किसानों के माध्यम से 5 हजार 116 मीट्रिक टन की खरीद की गई, जिसके सापेक्ष 8 करोड़ 70 लाख रुपये का भुगतान उनके खातों में सीधे किया गया ।

खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 के अंतर्गत धान कॉमन के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1 हजार 750 रुपये प्रति कुन्तल तथा धान ग्रेड–ए का समर्थन मूल्य 1 हजार 770 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 3 हजार 173 क्रय केन्द्रों के माध्यम से जनवरी, 2019 के अंत तक 5 लाख 86 हजार 535 किसानों से 43 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 7 हजार 110 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे उनके खातों में किया गया ।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने तथा उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु प्रदेश में इस योजना के

अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को 1 करोड़ 9 लाख एल.पी.जी. कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं ।

नगरीय क्षेत्र में उचित दर की दुकानों के सफल ऑटोमेशन के उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त 67 हजार से अधिक उचित दर दुकानों में **ई–पॉस मशीनें** स्थापित कर खाद्यान्न वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।

कानून व्यवस्था

प्रदेश में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध हो । पुलिसकर्मियों का मनोबल सुदृढ़ बना रहे, इसके लिए पुलिस बल को आधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस किया जाना आवश्यक है । इस हेतु एक लाख 23 हजार 619 आरक्षियों एवं समकक्ष पदों हेतु भर्ती की कार्यवाही प्रारंभ की गई है । इनमें से 27 हजार आरक्षी व समकक्ष पदों के कर्मी प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं एवं दो हजार तीन सौ सत्रह कर्मी प्रशिक्षणाधीन हैं । 42 हजार कर्मियों की भर्ती के लिए परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है तथा शेष 50 हजार कर्मियों के लिए शीघ्र परीक्षा आयोजित करायी जायेगी । अग्निशमन व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए 2 हजार 65 कर्मियों की भर्ती की जा रही है । अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को ऑन लाइन किया गया है ।

प्रदेश में दैवीय तथा अन्य आपदाओं में राहत पहुँचाने के लिए राज्य आपदा मोचन बल की 3 कम्पनियाँ क्रियाशील की जा चुकी हैं । इसके अतिरिक्त 3 अन्य कम्पनियों के गठन की कार्यवाही की जा रही है । **यूपी–100** परियोजना में व्यापक सुधार एवं विस्तार हेतु एक हजार 600 दो पहिया वाहनों की व्यवस्था की गई है । बेहतर प्रयासों के फलस्वरूप नवम्बर, 2018 में **यूपी–100** का औसतन रिस्पांस टाइम हमारे संकल्प पत्र की घोषणा के अनुरूप 14 मिनट रहा ।

होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता 375 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन किया गया तथा **होमगार्ड्स कल्याण कोष** की धनराशि 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है ।

वस्तु एवं सेवाकर

वाणिज्य कर विभाग को दिसम्बर, 2018 तक 53 हजार 198 करोड़ 54 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है । जी.एस.टी. के राजस्व में 22.4 प्रतिशत की वृद्धि होने से वर्ष 2018–19 के 9 माह में कोई प्रतिपूर्ति की राशि भारत सरकार से नहीं ली गई है । जी.एस.टी. के अंतर्गत 4 सौ 36 करोड़ 51 लाख तथा वैट के अंतर्गत 3 सौ 99 करोड़ 64 लाख रुपये के रिफण्ड वर्ष में दिए गए हैं । जी.एस.टी. के अंतर्गत प्रदेश में 7 लाख 75 हजार नए पंजीयन हो चुके हैं । पंजीयन हेतु करयोग्य वार्षिक टर्नओवर की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये तक तथा 5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को मासिक रिटर्न के स्थान पर त्रैमासिक रिटर्न भरने की व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष से की जा रही है । मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारियों हेतु बीमा राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख प्रति व्यापारी कर दिया गया है । नेचुरल गैस पर वैट के अंतर्गत अतिरिक्त कर की दर समाप्त कर दिए जाने से यूरिया के मूल्य कम हो गए हैं, जिसका लाभ किसानों को मिला है ।

ग्राम्य विकास

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत अब तक 11 लाख 53 हजार आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 10 लाख 09 हजार आवास निर्मित कर लाभार्थियों को दिये जा चुके हैं । अवशेष आवास भी 31 मार्च, 2019 तक की निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लिये जायेंगे । इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले 71 लाख आवास विहीन एवं कच्चे आवासों में निवास करने वाले परिवारों को पक्का आवास 31 मार्च, 2019 तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ।

मान्यवर,

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2017–2018 में 7 लाख 71 हजार आवास पूर्ण कर आवास निर्माण में सम्पूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है । भारत सरकार ने इस अभूतपूर्व प्रगति की सराहना करते हुए **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण** में उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कृत भी किया है ।

नगर विकास

प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के अंतर्गत भारत सरकार ने ए.एच.पी. के लिए 1 लाख 28 हजार 93 तथा बी.एल.सी. के लिए 7 लाख 99 हजार 598 आवास स्वीकृत किए हैं । **अटल नवीकरण एवं शहरी रूपांतरण मिशन (अमृत) योजना** के अंतर्गत प्रदेश के 60 शहरों को आच्छादित किया जा रहा है । **स्मार्ट सिटी योजना** के अंतर्गत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 10 नगरों के विकास हेतु एक हजार 758 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं ।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

वर्तमान में कुल 12 हजार 7 वार्डों में से 11 हजार 791 वार्डों को ओ.डी.एफ. किया जा चुका है। 635 नगर निकाय स्वघोषित ओ.डी.एफ. हो चुके हैं । अब तक 8 लाख 32 हजार 46 व्यक्तिगत शौचालय बनाये जा चुके हैं । ऐसे परिवार जिनके घरों में स्थान उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिये अब तक कुल 30 हजार 419 सामुदायिक शौचालय सीटों तथा आम जनता की सुविधा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर 28 हजार 42 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है ।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदेश में कुल 97 लाख 30 हजार 877 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराते हुए सभी जनपदों के 822 विकास खंडों, 58 हजार 770 ग्राम पंचायतों एवं 97 हजार 641 गाँवों को बेस लाइन सर्वे 2012 के अनुरूप खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है । बेस लाइन सर्वे 2012 के अतिरिक्त पात्र पाये जाने वाले परिवारों को विशेष अभियान चलाकर शौचालय की सुविधा से आच्छादित करने का कार्य किया जा रहा है ।

मेट्रो परियोजनायें

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज–1 'ए' के अंतर्गत लगभग 23 किलोमीटर लम्बे नार्थ–साउथ कॉरिडोर का कार्य किया जा रहा है । यह कॉरिडोर चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रारम्भ होकर मुंशी पुलिया पर समाप्त होगा । परियोजना के प्राथमिक सेक्शन–ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग का व्यवसायिक संचालन 05 सितम्बर, 2017 को प्रारम्भ हो

चुका है । सम्पूर्ण कॉरिडोर का संचालन, मुख्य मेट्रो संरक्षा आयुक्त से स्वीकृति प्राप्त होने पर, शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा ।

गाजियाबाद मेट्रो रेल परियोजना का विस्तार किया जा रहा है । कानपुर, आगरा एवं मेरठ में मेट्रो रेल सेवा प्रारम्भ किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत मेट्रो रेल नीति, 2017 के अनुसार डी.पी.आर. तैयार कर अनुमोदन हेतु भारत सरकार को भेजी गयी है ।

नोएडा से ग्रेटर नोएडा के मध्य 29 किलोमीटर की लंबाई में **मेट्रो रेल परियोजना** का उद्घाटन 25 जनवरी, 2019 को किया गया ।

सिंचाई

विभिन्न नदी–नालों पर 523 तटबंधों का निर्माण किया गया है जिनकी कुल लम्बाई 3 हजार 868 किलोमीटर है । बाढ़ प्रभावित जनपदों में बाढ़ नियंत्रण एवं जलोत्सारण की कुल 223 परियोजनाएं प्रगति पर हैं ।

प्रदेश में विलुप्त हो रहीं **नदियों के पुनर्जीवन एवं संरक्षण** हेतु 08 नदियाँ चिन्हित की गयी हैं । प्रथम चरण में बरेली की अरिल, बदायूँ की स्रोत, उन्नाव की सई, अयोध्या की तमसा, बस्ती की मनोरमा, वाराणसी की वरूणा तथा गोरखपुर की आमी नदी को शामिल किया गया है । राम गंगा मुख्य बाँध एवं सैडिल बाँध, कालागढ़ को स्वचालित कराया गया ।

ऊर्जा

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में भी रिकार्ड वृद्धि हुई है । चालू वित्तीय वर्ष में 20 हजार 62 मेगावाट पीक माँग की आपूर्ति की गयी । विद्युत माँग के अनुरूप पारेषण तंत्र की क्षमता को 92 हजार 556 एम.वी.ए. से बढ़ाकर 1 लाख 14 हजार 157 एम.वी.ए. किया गया है । साथ ही, प्रदेश में नवम्बर, 2018 तक लगभग 43 हजार सर्किट किलोमीटर की विभिन्न क्षमताओं की पारेषण लाइनें स्थापित की गई हैं ।

सौभाग्य योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2018 तक प्रदेश के 74 लाख इच्छुक परिवारों को विद्युत संयोजन दिये जाने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है । बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क बिजली संयोजन दिया जा रहा है तथा प्रदेश के सभी जनपदों में एण्टी थेफ्ट थाने स्थापित किये जा रहे हैं । वर्तमान वित्तीय वर्ष में **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना**

के अन्तर्गत सभी राजस्व गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है । बिजली की बचत करने के लिए **उजाला योजना** के अंतर्गत 3 करोड़ 40 लाख एल.ई. डी. बल्ब वितरित कर उत्तर प्रदेश, देश में दूसरे स्थान पर रहा । इससे 900 मेगावाट बिजली की बचत भी हुई । प्रदेश के सभी विकास खण्डों में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु किसानों को शासकीय अनुदान का लाभ मिल रहा है ।

वन एवं पर्यावरण

विगत दो वर्षों में प्रदेश के वनावरण व वृक्षावरण में 676 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है । स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर व्यापक जन सहभागिता से एक दिन में 9 करोड़ 66 लाख पौधों का रिकॉर्ड रोपण किया गया । वन विभाग द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से कुल 11 करोड़ 71 लाख पौधे रोपित किए गए । वर्ष 2019–20 में प्रदेशवासियों की सहभागिता व सहयोग से 22 करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य है । गंगा ग्रामों के समग्र विकास हेतु **गंगा हरीतिमा अभियान** चलाया गया ।

सूचना प्रौद्योगिकी

हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार सृजन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से प्रदेश में आई.टी. पार्कों की स्थापना किए जाने से 150 करोड़ रुपये के निवेश एवं लगभग 15 हजार रोजगार की संभावनाएं हैं । शत–प्रतिशत ई–टेंडरिंग प्रणाली को लागू किया गया है । 206 शासकीय सेवाओं के संबंध में जनसेवा, लोकवाणी केन्द्र तथा ई–सुविधा के माध्यम से अब तक 15 करोड़ 50 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया है । इन्वेस्टर्स समिट में इलेक्ट्रॉनिक तथा आई.टी. क्षेत्र के निवेशकों द्वारा 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश के एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किए गए, जिससे लगभग डेढ़ लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ।

शिक्षा

जन सामान्य की सुविधा के लिये प्रदेश के निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिये **उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018** लागू किया गया है ।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय तथा अशासकीय लगभग 2 लाख 65 हजार विद्यालय संचालित हैं । शैक्षिक सत्र 2018–19 में लगभग 9 करोड़ 43 लाख पाठ्य पुस्तकों तथा 2 करोड़ 34 लाख कार्य पुस्तिकाओं का वितरण कराया गया है । प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019–20 में बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु नवीन कार्यक्रम **शारदा–स्कूल हर दिन आएं** संचालित किया है । शैक्षिक सत्र 2018–19 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 41 हजार 556 सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई है ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 10 हजार 768 एवं प्रवक्ता के 3 हजार 794 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है तथा अतिशीघ्र विद्यालयों में सहायक अध्यापक तथा प्रवक्ता उपलब्ध हो जाएंगे । शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कुल 4 हजार 150 पदों का सृजन करते हुये 01 अप्रैल, 2018 से प्रारम्भ नवीन शैक्षिक सत्र से प्रदेश में 149 **पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कॉलेज** संचालित किये गये हैं ।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में 37 राजकीय इण्टर कॉलेजों में शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कुल 851 पद सृजित करते हुये नवीन शैक्षिक सत्र में विद्यालय संचालित किये गये हैं ।

उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर एक हजार 566 पदों पर नियुक्तियाँ की गई हैं तथा निकट भविष्य में 315 पदों पर नियुक्तियाँ की जानी हैं ।

समाज कल्याण

समाज कल्याण के क्षेत्र में सरकार द्वारा विशेष रूप से अत्यंत कल्याणकारी कार्यों को किया जा रहा है । अनुसूचित जाति के लगभग 25 हजार तथा सामान्य जाति के लगभग 8 हजार निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु 66 करोड़ 31 लाख रुपये का अनुदान दिया गया ।

राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन भरण–पोषण अनुदान 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह किया गया । गत वर्ष 9 लाख 40 हजार लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया था ।

इस वित्तीय वर्ष में लगभग 38 हजार नये लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है ।

सरकार द्वारा विधवा पेंशन हेतु आयु सीमा की बाध्यता समाप्त कर दी गई है । इस वित्तीय वर्ष में गत वर्ष की तुलना में लगभग 2 लाख 63 हजार अधिक लाभार्थियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 38 लाख 69 हजार पात्र वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत लाभान्वित किया जा चुका है ।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रों के लिए 94 पंडित दीन दयाल राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं । यहाँ पर मैं, हमारी सरकार के **सबका साथ–सबका विकास** की भावना को इन शब्दों में व्यक्त करना चाहूँगा :–

सभी का साथ न होता हमारा 'धर्म', तो फिर,
हम एक दरिया से, छोटी सी झील हो जाते ।

पर्यटन

प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से विश्व स्तर पर लाए जाने के लिए सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन पर विशेष बल दिया जा रहा है । अयोध्या में दीपोत्सव का दिव्य आयोजन कर 'गिनीज बुक' में स्थान दर्ज कराया गया । गोरखपुर में स्थित पर्यटन स्थलों का विकास तथा रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था की जा रही है । आगरा एवं मथुरा क्षेत्र के विशिष्ट पर्यटन विकास हेतु विश्व बैंक के सहयोग से **प्रो–पुअर पर्यटन योजना** संचालित है, जिसमें 70 प्रतिशत व्यय विश्व बैंक द्वारा वहन किया जाएगा । जनपद सीतापुर में नैमिषारण्य स्थित मंदिरों के पर्यटन विकास कार्य हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ 17 लाख रुपये व्यय किया जा रहा है । वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र, फिल्म सिटी तथा प्रवासी भारतीय भवन के निर्माण आदि हेतु वर्ष 2018–19 में अब तक लगभग 150 करोड़ रुपये व्यय किया गया है । मथुरा में प्राचीन काल के 50 ऐतिहासिक जलकुण्डों एवं तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है । बरसाना में होली का भव्य आयोजन किया गया । गढ़ मुक्तेश्वर में सांस्कृतिक एवं प्राचीन धरोहरों को संरक्षित किए जाने का कार्य किया जा रहा है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 2 हजार 205 चिकित्सकों की तैनाती के आदेश निर्गत किए गए तथा 4 हजार 31 नर्सों के रिक्त पदों को भरे जाने का निर्णय लिया गया है । प्रदेश में पहली बार 100 **एडवान्स लाईफ सपोर्ट एम्बुलेन्स** क्रियाशील की जायेंगी । प्रदेश में 2 हजार 329 उपकेन्द्रों एवं 750 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में सुदृढ़ किया जा रहा है । प्रदेश में सस्ते दर पर गुणवत्तापूर्ण औषधि उपलब्ध कराने हेतु राजकीय चिकित्सालयों में प्रथम चरण के अंतर्गत 100 जन औषधि केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं ।

प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में 5 जिला चिकित्सालयों का राजकीय मेडिकल कॉलेज के रूप में उच्चीकरण तथा 8 नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की कार्यवाही प्रगति पर है । प्रदेश में उच्चकोटि की शिक्षा एवं चिकित्सा हेतु गोरखपुर एवं रायबरेली में एम्स के निर्माण का कार्य प्रगति पर है । **"आयुष्मान भारत–नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन"** के अन्तर्गत 1 करोड़ 18 लाख परिवारों के लगभग 06 करोड़ व्यक्तियों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये धनराशि तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा राजकीय एवं सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से दी जा रही है ।

लगभग 10 लाख 10 हजार ऐसे पात्र लाभार्थी जो किन्हीं कारणों से आयुष्मान भारत–नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन योजना की सुविधा से वंचित रह गये हैं, को इसी योजना की भाँति लाभ प्रदान किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से "**मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान"** से आच्छादित किया जायेगा जिसके लिये 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है ।

परिवहन

प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में वाहन–4 एवं सारथी–4 सॉफ्टवेयर लागू होने से लोगों को ऑन लाइन आवेदन फीस भुगतान की सुविधा प्रदान की जा रही है । बस सेवा से वंचित प्रदेश के 14 हजार 561 असेवित गाँवों को बस सेवा से जोड़ा गया । प्रदेश के सभी संभागों में ऑन लाइन परमिट की शुरूआत करने वाला उत्तर प्रदेश, देश में दूसरा राज्य बना । प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के बीच बस

संचालन हेतु परिवहन समझौता किया गया । अयोध्या से नेपाल स्थित जनकपुर के मध्य बस सेवा का शुभारंभ किया गया ।

अन्य विकासोन्मुख कार्य

औद्यानिक विकास की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए 4 लाख 73 हजार किसानों द्वारा ऑन लाइन पंजीकरण कराया गया ।

बाल श्रम उन्मूलन हेतु **नया सवेरा योजना** प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत 18 हजार 376 बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ा गया । श्रमिकों के समग्र विकास के लिए अब तक 44 लाख 78 हजार निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण कराया गया है । कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 5 लाख रुपये, स्थायी विकलांगता पर 3 लाख रुपये एवं आंशिक विकलांगता पर 2 लाख रुपये की सहायता दी जाती है । अब तक 867 रोजगार मेलों का आयोजन कर एक लाख से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार दिया गया ।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत 4 करोड़ 87 लाख खाते खोले गए, जिसके सापेक्ष 3 करोड़ 85 लाख खातों हेतु **रूपे डेबिट कार्ड** निर्गत किए गए । मुद्रा योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 18 लाख लाभार्थियों को 51 हजार 650 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए ।

उत्तर प्रदेश दिवस पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा रियो ओलम्पिक गेम्स में पदक विजेता पी.वी. सिन्धु, साक्षी मलिक तथा दीपा करमाकर को एक–एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई । 14 विशिष्ट खिलाड़ी रानी लक्ष्मीबाई एवं लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किए गए ।

वर्ष 2018–19 में वर्तमान में कार्यरत 6 हजार 587 सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से प्रतिदिन 3 लाख 31 हजार किलोग्राम दूध का उपार्जन कर प्रतिदिन 1 लाख 80 हजार लीटर नगर क्षेत्र में दुग्ध विक्रय किया जा रहा है ।

व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं को चिन्हित करते हुए उनके निराकरण, सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा संबंधी योजनाओं को लागू कराने, विभिन्न विभागों द्वारा लागू कानूनों, नियमों का समय–समय पर परीक्षण करने, परामर्श देने एवं सरलीकरण करने तथा व्यापारी कल्याण

कोष की स्थापना किए जाने हेतु **उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड** का गठन किया गया है । भारत सरकार के वाणिज्य कल्याण मंत्रालय के गठन की घोषणा से व्यापारियों को उससे सीधे जुड़कर अपनी समस्याएं रखकर समाधान पाने का एक मंच प्राप्त होगा ।

बुंदेलखंड क्षेत्र की विशिष्ट प्राकृतिक संरचना, जल संसाधन का अभाव, कम उत्पादकता, अपर्याप्त अवस्थापना, आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाएं तथा निरंतर प्राकृतिक आपदाएं, जैसे–सूखा आदि मुख्य समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए बुंदेलखंड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए **बुंदेलखंड विकास बोर्ड** का गठन किया गया है ।

पूर्वांचल क्षेत्र के समग्र विकास हेतु दिशा–निर्देश दिए जाने, सामाजिक आर्थिक विकास के अवरोधक तत्वों तथा कारणों को चिन्हित कर उनका निराकरण, प्राथमिकताओं को तय करने, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की समग्र कार्ययोजना बनाने आदि के लिए **पूर्वांचल विकास बोर्ड** का गठन किया गया है ।

राज्य सरकार द्वारा हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रदेश के कई शहर चयनित हुए हैं । कुशीनगर में एयरपोर्ट शीघ्र संचालित हो जाएगा । गौतमबुद्धनगर के जेवर में **नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट** की स्थापना का कार्य किया जा रहा है ।

राज्य की आय के संशोधित अनुमान के अनुसार प्रदेश की विकास दर स्थिर (2011–2012) भावों पर वर्ष 2017–2018 (संशोधित अग्रिम अनुमान) में 7 प्रतिशत आकलित हुई है ।

राज्य आय के संशोधित अनुमान के अनुसार प्रदेश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय वर्ष 2016–2017 में 50 हजार 92 रुपये आकलित हुई है जो वर्ष 2017–2018 में बढ़कर 55 हजार 456 रुपये हो गई है ।

मान्यवर,

अब मैं, प्रमुख विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रस्तावित बजट व्यवस्था का उल्लेख करना चाहूँगा :–

कानून व्यवस्था

- प्रदेश के 36 नये थानों के निर्माण, पुलिसकर्मियों एवं पी.ए.सी. के प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार तथा पुलिसकर्मियों के लिए बैरक निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- पुलिस विभाग में टाईप–ए एवं टाईप–बी के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्रदेश में नवसृजित जनपदों में 07 पुलिस लाइनों के निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्रदेश में 57 फायर स्टेशनों पर आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- पुलिस आधुनिकीकरण हेतु 204 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास

- सरकारी क्षेत्र की बन्द पड़ी चीनी मिलों के पुनर्संचालन हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सहकारी क्षेत्र की बंद चीनी मिलों को पी.पी.पी. पद्धति से पुनर्संचालित किये जाने हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

कृषि एवं सहकारिता

- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** हेतु 892 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- **नेशनल क्रॉप इन्श्योरेंस प्रोग्राम** हेतु 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- **उर्वरकों के पूर्व भण्डारण योजना** हेतु वित्तीय वर्ष 2019–2020 के बजट में 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

कृषि विपणन

- भण्डारण की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये 40 मण्डी स्थलों में प्रत्येक 5 हजार मीट्रिक टन के भण्डार गृह राज्य भण्डारण निगम की पार्टनरशिप में निर्मित कराने का कार्य आरम्भ किया गया है ।

- प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लग रहे 500 हाट–पैठ का विकास 150 करोड़ रुपये की लागत से मण्डी परिषद द्वारा कराए जाने का निर्णय लिया गया है ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान

- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** के अन्तर्गत 13 कृषि विज्ञान केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु 36 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है ।

- जनपद गोण्डा में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) की स्थापना हेतु निर्माण का कार्य प्रगति पर है ।

पशुपालन एवं दुग्ध विकास

- प्रदेश में गौ वंश संवर्द्धन हेतु सरकार प्रतिबद्ध है । इस हेतु पशु पालन एवं दुग्ध विकास के अलावा अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जा रहा है । प्रदेश में मदिरा की बिक्री पर विशेष फीस अधिरोपित की गई है जिससे प्राप्त होने वाले अनुमानित राजस्व 165 करोड़ रुपये का उपयोग प्रदेश के निराश्रित एवं बेसहारा गौ वंश के भरण–पोषण हेतु किया जायेगा ।

- ग्रामीण क्षेत्रों में गौ वंश के रख–रखाव एवं गौशाला निर्माण कार्य हेतु 247 करोड़ 60 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- शहरी क्षेत्रों में **कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना** हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **पं. दीन दयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना** के संचालन हेतु 64 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत 10 हजार इकाइयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है ।

- मथुरा में नई डेयरी की स्थापना हेतु 56 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति, 2018** के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- दुग्ध संघों तथा समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तारीकरण, कृषक प्रशिक्षण, तकनीकी निवेश, पशु प्रजनन तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम योजनाओं हेतु 93 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

मत्स्य

- **मत्स्य पालक फण्ड** हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **मत्स्य पालक विकास अभिकरण** को वित्तीय सहायता हेतु लगभग 8 करोड़ 82 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

ग्राम्य विकास

- **प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण** हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट में 6,240 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना** के क्रियान्वयन हेतु 3,488 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र एवं गुणता प्रभावित ग्रामों में पाईप पेयजल योजना हेतु 3,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम** हेतु 2,954 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** हेतु 1,393 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण** हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट में 429 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन** हेतु 224 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में 1008 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था विकास कार्यों हेतु एवं 201 करोड़ 60 लाख रुपये की व्यवस्था जी.एस.टी. के भुगतान हेतु प्रस्तावित है ।

पंचायतीराज

- **स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण** हेतु 6,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 750 पंचायत भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट में 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **काँजी हाउस** की स्थापना एवं पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल और रचनात्मक कार्यों के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु **युवक मंगल दल योजना** के लिये 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

लघु सिंचाई

- **निःशुल्क बोरिंग योजना** हेतु 55 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **मध्यम गहरे नलकूप योजना के अंतर्गत** 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में सिंचाई हेतु **सामुदायिक ब्लास्ट कूपों** के निर्माण तथा जीर्णोद्धार हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

- **पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे** हेतु 1194 करोड़ रूपये, **बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस–वे** हेतु 1,000 करोड़ रुपये तथा **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे** हेतु 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे** के साथ **डिफेन्स कॉरिडोर** विकसित किये जाने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- **आगरा–लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेस–वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना** के सुदृढ़ीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- **अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012** के क्रियान्वयन हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- नई औद्योगिक नीति **''औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017''** हेतु 482 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- **औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003** हेतु 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- **औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2012** हेतु 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

- **एक जनपद एक उत्पाद योजना** हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु **मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना** हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्रदेश के परंपरागत कारीगरों यथा बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, नाई, मोची, राजमिस्त्री के उत्थान

के लिए **विश्वकर्मा श्रम सम्मान** योजना प्रारम्भ की गई है जिसके लिये 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति–2017** के क्रियान्वयन हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

- **पॉवरलूम बुनकरों** को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराये जाने हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स एण्ड गारमेन्टिग पॉलिसी, 2017** हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

खादी एवं ग्रामोद्योग

- **मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना** हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्रदेश में मिट्टी के कार्य करने वाले शिल्पियों के परम्परागत व्यवसाय को नवाचार के माध्यम से संरक्षित एवं सवंर्द्धित करने हेतु उत्तर प्रदेश **माटी कला बोर्ड** का गठन किया गया है । माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- **"आयुष्मान भारत–नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन"** योजना हेतु 1,298 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** हेतु 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- आयुष्मान भारत–नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन योजना की सुविधा से वंचित पात्र लाभार्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से **मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान** से आच्छादित करने हेतु 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्रदेश के जनपदों में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 47 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

चिकित्सा शिक्षा

- प्रदेश के चिन्हित जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेजों में उच्चीकृत किये जाने की योजना के अंतर्गत 908 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के विभिन्न कार्यों हेतु 907 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- जनपद बलरामपुर में किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के सेटेलाईट सेण्टर की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- संजय गांधी पी.जी.आई., लखनऊ के विभिन्न कार्यों हेतु 854 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान के विभिन्न कार्यों हेतु 396 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई हेतु 357 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- कैंसर संस्थान, लखनऊ के विस्तार एवं विकास हेतु 248 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्रदेश में एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

नागरिक उड्डयन

- प्रदेश में हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण हेतु 1000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- जेवर एयरपोर्ट हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- अयोध्या में एयरपोर्ट हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत वायुसेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

वन एवं पर्यावरण

- इस वर्ष मनरेगा वित्त पोषित वृक्षारोपण की 3 नई योजनाएं **"मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना," "मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना" एवं "मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना"** प्रारम्भ की गई है ।
- **उत्तर प्रदेश प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि प्रबन्ध योजना** के क्रियान्वयन हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

राजस्व

- वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रदेश के विभिन्न मण्डलों, जनपदों तथा तहसीलों के अनावासीय तथा आवासीय भवनों के चालू निर्माण कार्य, नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माण तथा भूमि क्रय एवं भवनों के रख–रखाव हेतु 237 करोड़ 95 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- **आपदा मोचन निधि** में 1 हजार 820 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- **मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना** हेतु 845 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

लोक निर्माण

- वित्तीय वर्ष 2019–20 में लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों के निर्माण हेतु 13,135 करोड़ रुपये की व्यवस्था तथा सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3,522 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- पुलों के निर्माण एवं रख–रखाव हेतु 2,100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- ग्रामों तथा बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में कुल 850 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित मार्गों एवं अन्य महत्वपूर्ण मार्गों का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण किया जाना है । इसके लिए वर्ष 2019–20 में 1,174 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- वित्तीय वर्ष 2019–20 में **केन्द्रीय मार्ग निधि योजना** हेतु 2,010 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित **उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना** के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्यों हेतु 350 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 614 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है ।

- नाबार्ड वित्त पोषित **आर.आई.डी.एफ. योजना** के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों के नवनिर्माण, चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण एवं सेतुओं के निर्माण हेतु 702 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **विशेष क्षेत्र कार्यक्रम** के अन्तर्गत पूर्वांचल की विशेष योजनाओं हेतु 300 करोड़ रुपये तथा बुंदेलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

सिंचाई

- **मध्य गंगा नहर योजना–द्वितीय चरण** हेतु 1,727 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना** के कार्यों हेतु 1,812 करोड़ 56 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **अर्जुन सहायक परियोजना** हेतु 953 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **सरयू नहर परियोजना फेज–3 समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्ध कार्यक्रम** हेतु 500 करोड़ रुपये तथा **अर्जुन नहर परियोजना समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्ध कार्यक्रम** हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजनाओं हेतु 1,100 करोड़ 61 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **कनहर सिंचाई परियोजना** हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **बाणसागर परियोजना** हेतु 122 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

आवास एवं शहरी नियोजन

- अवस्थापना सुविधाओं के विकास संबंधी कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **कानपुर मेट्रो रेल परियोजना** तथा **आगरा मेट्रो रेल परियोजना** हेतु 175–175 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं झाँसी में मेट्रो रेल परियोजनाओं** के प्रारम्भिक कार्यों हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना** हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

नगर विकास

- **प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी** हेतु 5,156 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **अमृत योजना** हेतु 2,200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- **स्मार्ट सिटी मिशन योजना** हेतु 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- **स्वच्छ भारत मिशन–शहरी** योजना हेतु 1,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- **मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना** हेतु 426 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना** हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

नियोजन

- बुंदेलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिये वर्ष 2019–2020 में रुपये 810 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- **त्वरित आर्थिक विकास योजना** के लिए 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

बेसिक शिक्षा

- **समग्र शिक्षा अभियान** हेतु 18 हजार 485 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- **मध्याह्न भोजन कार्यक्रम** हेतु 2,275 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क 01 जोड़ी जूता, 02 जोड़ी मोजा तथा 01 स्वेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क यूनीफॉर्म वितरण हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- वनटांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्कूल बैग वितरण हेतु 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- उत्तर प्रदेश में कक्षा–3 से संस्कृत शिक्षा प्रदान की जाती है । वर्तमान वर्ष में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत लगभग 7 हजार शिक्षकों को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सहयोग से **वाग् व्यवहार में संस्कृत** सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।

माध्यमिक शिक्षा

- सैनिक स्कूलों की स्थापना हेतु 26 करोड़ 57 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

- राजकीय इण्टर कॉलेजों (बालक तथा बालिका) की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

- प्रदेश के युवाओं को हमारी प्राचीन परम्पराओं से जोड़ने के लिये संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है । इस हेतु संस्कृत पाठशालाओं को सहायक अनुदान उपलब्ध कराये जाने के लिये 242 करोड़ रुपये की व्यवस्था तथा सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

उच्च शिक्षा

- समस्त कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में वाई–फाई की सुविधा योजना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान** के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 160 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में **"गुरूश्री गोरक्षनाथ शोधपीठ"** की अवस्थापना मदों के लिये 63 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में **अटल सुशासन पीठ** की स्थापना हेतु 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में डी.ए.वी. कॉलेज, कानपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- संस्कृत की उच्च शिक्षा हेतु काशी विद्यापीठ को अनुदान दिये जाने के लिये 21 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय हेतु 21 करोड़ 51 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

प्राविधिक शिक्षा

- **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ** की स्थापना पी.पी.पी. मोड के अन्तर्गत की जा रही है । वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट में इस हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- जनपद मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना हेतु क्रमशः 8 करोड़ रुपये एवं 4 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर** के सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

महिला एवं बाल कल्याण

- मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने तथा महिलाओं के प्रति सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने एवं

उनके प्रति सम्मान भाव जागृत करने के उद्देश्य से आगामी वित्तीय वर्ष से **कन्या सुमंगला योजना** लाई जा रही है । इसके लिए 1200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **पुष्टाहार कार्यक्रम** हेतु 4,004 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- **निराश्रित विधवाओं के भरण–पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा हेतु अनुदान** की मद में 1,410 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- आँगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय के भुगतान हेतु 1,988 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- **नेशनल न्यूट्रिशन मिशन** हेतु 335 करोड़ रुपये तथा **शबरी संकल्प अभियान** हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- **किशोरी बालिका योजना** हेतु 156 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- **महिला सम्मान कोष** हेतु 103 करोड़ 70 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

समाज कल्याण

- **विभिन्न वर्गों के निर्धन छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना** हेतु कुल 4,433 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसमें अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं हेतु 2037 करोड़ रुपये, पिछड़ा वर्ग हेतु 1516 करोड़ रुपये, सामान्य वर्ग हेतु 850 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजाति हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था सम्मिलित है ।
- **वृद्धावस्था तथा किसान पेंशन योजना** के अंतर्गत 2,579 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के पुत्रियों की शादी हेतु सभी वर्गों के लिये

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना** के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

- **शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत** वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट में 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

अल्पसंख्यक कल्याण

- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 942 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- अरबी–फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु 459 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

दिव्यांगजन कल्याण

- दिव्यांगों को भरण–पोषण अनुदान हेतु 621 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- कुष्ठावस्था विकलांग भरण–पोषण अनुदान हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- **मानसिक, मंदित आश्रय गृह** स्थापित कराये जाने की योजना है । तीन केन्द्र स्थापित हैं तथा 07 केन्द्रों की स्थापना हेतु 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

मैं, सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि सरकार आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, आशा बहुओं, ग्राम प्रहरियों, प्रान्तीय रक्षकों और मिड–डे–मील योजना के अन्तर्गत रसोईयों का मानदेय पुनरीक्षित करने पर विचार कर रही है ।

धर्मार्थ कार्य

- जनपद वाराणसी स्थित **श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु** श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास

परिषद का गठन किया गया है । गंगा तट से विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग के विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 207 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में **"वैदिक विज्ञान केन्द्र"** की स्थापना हेतु 16 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

संस्कृति

- मथुरा–वृन्दावन के मध्य ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु 8 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चहारदीवारी निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण हेतु 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पर्यटन

- उत्तर प्रदेश बृज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- अयोध्या के प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु 101 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- गढ़ मुक्तेश्वर के पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन हेतु 70 करोड़ रुपये तथा प्रो–पुअर टूरिज्म के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- वाराणसी में लहरतारा तालाब, कबीर स्थल एवं गुरू रविदास की जन्मस्थली सीरगोवर्धनपुर का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है ।
- प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज आश्रम एवं श्रृंगवेरपुर धाम का विकास किया जाना प्रस्तावित है ।

- विन्ध्याचल एवं नैमिषारण्य का विकास किया जाना प्रस्तावित है ।
- बौद्ध परिपथ में सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, कौशाम्बी एवं संकिसा का विकास किया जाना प्रस्तावित है ।
- शाकुम्भरी देवी एवं शुक्रताल का विकास किया जाना प्रस्तावित है ।
- राजापुर चित्रकूट में तुलसी पीठ का विकास किया जाना प्रस्तावित है ।
- बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्थल एवं चित्तौरा झील का विकास किया जाना प्रस्तावित है ।
- लखनऊ में बिजली पासी किले का विकास किया जाना प्रस्तावित है ।

न्याय

- प्रदेश के नवसृजित जनपदों एवं नवसृजित न्यायालयों में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु 1,075 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में मल्टीलेवेल पार्किंग एवं एडवोकेट चैम्बर के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019–2020 के बजट में 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपयोगार्थ कांफ्रेंस हाल के निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है ।
- वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निस्तारण हेतु **कामर्शियल कोर्ट्स** के संचालन के लिये 10 करोड़ 86 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

मान्यवर,

विभागवार महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु आय–व्ययक में की गई व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् इन पंक्तियों के साथ मैं, राजकोषीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ :–

हम ऐसा दरिया हैं जो एक–एक कतरे का,
कोई भी माँग ले, सारा हिसाब दे देंगे ।

राजकोषीय सेवायें

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर से राजस्व प्राप्ति का अनुमान 77 हजार 640 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है ।

आबकारी शुल्क

आबकारी शुल्क से राजस्व प्राप्ति का अनुमान 31 हजार 517 करोड़ 41 लाख रुपये है ।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

स्टाम्प एवं पंजीकरण से 19 हजार 179 करोड़ रुपये की प्राप्ति अनुमानित है ।

वाहन कर

वाहन कर से 7 हजार 863 करोड़ रुपये की प्राप्ति अनुमानित है ।

वित्तीय वर्ष 2019–2020 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं, वित्तीय वर्ष 2019–2020 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा :–

- प्रस्तुत बजट का आकार 04 लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपये (4,79,701.10 करोड़ रुपये) है, जो वर्ष 2018–2019 के बजट के सापेक्ष 12 प्रतिशत अधिक है ।
- बजट में 21 हजार 212 करोड़ 95 लाख रुपये (21,212.95 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं ।

प्राप्तियाँ

- वर्ष 2019–2020 में 04 लाख 70 हजार 684 करोड़ 48 लाख रुपये (4,70,684.48 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।

- कुल प्राप्तियों में 03 लाख 91 हजार 734 करोड़ 40 लाख रुपये (3,91,734.40 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 78 हजार 950 करोड़ 08 लाख रुपये (78,950.08 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं ।
- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 02 लाख 93 हजार 39 करोड़ 17 लाख रुपये (2,93,039.17 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 01 लाख 40 हजार 176 करोड़ रुपये (1,40,176 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 01 लाख 52 हजार 863 करोड़ 17 लाख रुपये (1,52,863.17 करोड़ रुपये) सम्मिलित है ।

व्यय

- कुल व्यय 04 लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपये (4,79,701.10 करोड़ रुपये) अनुमानित है ।
- कुल व्यय में 03 लाख 63 हजार 957 करोड़ 04 लाख रुपये (3,63,957.04 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 01 लाख 15 हजार 744 करोड़ 06 लाख रुपये (1,15,744.06 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है ।

राजस्व बचत

- वर्ष 2019–2020 में 27 हजार 777 करोड़ 36 लाख रुपये (27,777.36 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है ।

राजकोषीय घाटा

- वित्तीय वर्ष 2019–2020 में 46 हजार 910 करोड़ 62 लाख रुपये (46,910.62 करोड़ रुपये) का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो वर्ष 2019–2020 के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है ।
- राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.98 प्रतिशत अनुमानित है ।

समेकित निधि

- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् 09 हजार 16 करोड़ 62 लाख रुपये (9,016.62 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है ।

लोक लेखा

- लोक लेखे से 09 हजार 500 करोड़ रुपये (9,500 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

- वर्ष 2019–2020 में समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम 483 करोड 38 लाख रुपये (483.38 करोड़ रुपये) अनुमानित है ।

अन्तिम शेष

- वर्ष 2019–2020 में प्रारम्भिक शेष 08 हजार 225 करोड़ 47 लाख रुपये (8,225.47 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 8 हजार 708 करोड़ 85 लाख रुपये (8,708.85 करोड़ रुपये) होना अनुमानित है ।

मान्यवर,

मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीया वित्त राज्यमंत्री जी तथा मंत्रिपरिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ । मैं, अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है ।

मान्यवर,

राजकोषीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए आय–व्ययक अनुमान तथा यथार्थपरक लक्ष्य तय किए गये हैं । हमने घोटालों, घपलों और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार दी है । उस अमावस के अभेद्य अंधकार को हमने अपनी पूर्णिमा की उज्ज्वलता से समाप्त किया है । अपने कालजयी

पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार – **कंधे से कंधा लगाकर, कदम से कदम मिलाकर हमें अपनी जीवन यात्रा को ध्येय सिद्धि के शिखर तक ले जाना है,** का अनुसरण कर रहे हैं । हम अपना कर्तव्यपालन कर रहे हैं, हमारी सफलता सुनिश्चित है । प्रदेश की जनता ने तीव्र विकास, बदलाव तथा पारदर्शिता की स्थापना के लिए सत्ता सौंपी है । हमें सेवा का अवसर मिला है और हम निष्पक्षता तथा सिद्धांतप्रियता का परिचय दे रहे हैं ।

मैं, वित्तीय वर्ष 2019–2020 के आय–व्ययक के प्रस्तुतीकरण का समारोप निम्न पंक्तियों से कर रहा हूँ :–

लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती,
हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती,
जलते हुए चिराग ने आँधियों से ये कहा,
उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती ।

वंदे मातरम्

माघ 18, शक संवत् 1940
तद्नुसार,
दिनाँक : 07 फरवरी, 2019